न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :– गंगाधर मीण (R.A.S.)

प्रार्थना पत्र सख्या **13/2020**	**रजू दिनांक** **20.07.2020**	**निर्णय दिनांक** 10.02.22

उनवान

1. गगन गुप्ता पुत्र श्री ललितचन्द्र जाति महाजन निवासी ग्राम कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

–: प्रार्थी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री मेहरचन्द
2. जसवन्त पुत्र श्री धनसिह
3. रोहताश पुत्र श्री रामलाल
4. शीशराम पुत्र श्री नत्थन
5. संतोष पुत्री श्री रामलाल जाति जाटान निवासीयान ग्राम कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।
6. तहसीलदार (भूमिधारी अधिकारी) कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

–: अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थर गढी अर्न्तगत धारा 111 व 128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

–: निर्णय :–

दिनांक :– 10.02.22

उपस्थिति :–

1– श्री भगतसिह, वकील प्रार्थी

1. यह है कि आराजी हाल खसरा नम[illegible]/0.19 बीघा वाके ग्राम कोटकासिम तहसील कोटकासिम [illegible] अलवर राज0 [illegible] जो कि इस प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी कहला[illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 11:09:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

2. यह है कि विवादित आराजी मिन प्रार्थी की खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी है। जिस पर मिन प्रार्थी काबिज व दखिल होकर काश्त करता चला आ रहा है। राजस्व रिकोर्डस में अमल दरामद हो रहा है।

3. यह है कि मिन प्रार्थी की विवादित आराजी से लगती हुई अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1880 व अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी खसरा नम्बर नम्बर 1876 व अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 5 की खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1876 है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 आये दिन मिन प्रार्थी की विवादित आराजी की डोल को मिसमार करते रहते है। व आये रोज विवाद करते रहते जिस कारण मिन प्रार्थी ने अपनी विवादित आराजी की पैमाईश दिनांक 20.06.2019 को श्रीमान तहसीलदार साहब, कोटकासिम के आदेश क्रमांक 42 दिनांक 17.06.2019 की पालना में हल्का पटवारी से करवाई हुई है। मौके पर्चा दिनांक 20.06.2019 संलग्न प्रार्थना पत्र है।

4. यह है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 मिन प्रार्थी को अपनी विवादित आराजी की पत्थरगढी मौका पर्चा दिनांक 20.06.2019 के अनुसार नही करने दे रहे है। मिन प्रार्थी मौका पर्चा दिनांक 20.06.2019 के अनुसार विवादित आराजी की पत्थरगढी करवाने हेतु अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 से कई बार निवेदन कर चुका हूँ, अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 मिन प्रार्थी को आश्वासन देते रहे कि मौका पर्चा के अनुसार अपनी विवादित आराजी की पत्थरगढी का लेना। परन्तु दिनांक 14.07.2020 को अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 ऐलानिया तौर पर मिन प्रार्थी को धमकियॉ दी कि हम उक्त मौका पर्चा क अनुसार तुम्हारी विवादित आराजी की पत्थरगढी नही होने देगे और हमने अपनी उक्त आराजीयात में तुम्हारी विवादित आराजी का जो रकबा दबाया हुआ है उसे मिन प्रार्थी को अपनी विवादित आराजी की मौका पर्चा दिनांक 20.06.2019 के अनुसार पत्थरगढी जरिये अदालत से करवाने के लिये यह प्रार्थना अदालत श्रीमान के समक्ष अविलम्ब ही पेश करना लाजिम आया है।

वादीगण के द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि [illegible] प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया [illegible] बीघा वाके ग्राम कोटकासिम जाकर विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 18[illegible] [illegible] तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 [illegible] की जाकर मौका पर्चा दिनांक 20.06.2019 के अनुसार पत्थरगढी करवाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 11:09:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत तामिल करवाई गई। तामिल बाद भी उपस्थित नही होने के कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी ने अपने प्रार्थना पत्र की ताईद में जमाबन्दी सम्वत 2075–78 पेश किये है जो शामिल मिसल है।

प्रार्थी व अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये विवादित आराजी की पुनः पैमाईश कर पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया गया।

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किये जाने पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार कोटकासिम को आदेशित किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 1879 रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम कोटकासिम जिला अलवर राज0 की समस्त काश्तकारो की उपस्थिति में निर्णय के एक माह में पैमाईश कर उक्त खसरा नम्बर की नियमानुसार पत्थरगढी की जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार कोटकासिम को अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 10.2.22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(गंगाधर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 11:09:54 IST
Reason: SelfAttested